न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in
PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :—09/2024
प्रकरण दायर दिनांकः—15.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः— 14.08.2024

उनवान— राज. सरकार बनाम कन्हैयालाल वगै.

राजस्व ग्राम साहूपाडा स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः—14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/2024/187 दिनांकः 28.02.2024 द्वारा राजस्व ग्राम साहूपाडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 573 रकबा 0.21 हैक्ट. में से 0.012 हैक्ट., 574 रकबा 0.09 हैक्ट. में से 0.013 हैक्ट., 622 रकबा 0.21 हैक्ट. मे से 0.012 हैक्ट., 623 रकबा 0.50 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 624 रकबा 0.49 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू. अ. निरीक्षक, पटवारी हल्का पीचूपाडा कलॉ रिपोर्ट दिनांकः 28.02.2024 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र रामचन्दर न्यायालय हाजा उपस्थित आये एवं रास्ते बाबत आपत्ति प्रकट की, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र रामचन्दर की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन कुमार गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र रामचन्दर द्वारा जवाब भी पेश किया गया। अप्रार्थीगण कन्हैयालाल, श्रवण, विश्रामसिंह पुत्रान रामचन्द्र, भागचन्द व सॉवलराम की ओर से जवाब पेश किया गया कि तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा आराजी खसरा नंबर 573, 574, 622, 623, 624 किस्म बारानी वाके ग्राम साहूपाडा बाबत मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव पेश किया है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में होकर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर चालू है। तहसीलदार बॉदीकुई ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर ग्रेवल रोड होना दर्शाया है जो गलत है मौके की स्थिति के विपरीत है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जावे।

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम साहूपाडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 573 रकबा 0.21 हैक्ट. में से 0.012 हैक्ट., 574 रकबा 0.09 हैक्ट. में से 0.013 हैक्ट., 622 रकबा 0.21 हैक्ट. मे से 0.012 हैक्ट., 623 रकबा 0.50 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., 624 रकबा 0.49

हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव पेश करने एवं उपरोक्त खातेदारी भूमि में होकर वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर चालू नहीं होने के कारण प्रस्ताव को खारिज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत उपस्थित खातेदार द्वारा आपत्ति प्रकट करने एवं अप्रार्थीगण/खातेदारान द्वारा जवाब प्रस्तुत कर असहमति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम–साहूपाडा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। उत्तरपक्ष अनुपस्थित वास्ते बहस दि० 26/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

26/6/24 पत्रावली पेश हुई। उत्तरपक्ष अनुपस्थित वास्ते बहस दि० 5/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

5/8/24 पत्रावली पेश हुई उत्तरपक्ष अनुपस्थित बहस उत्तरपक्ष सुनी। वास्ते आदेश दि० 14.8.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। उत्तरपक्ष अनुपस्थित। उत्तरपक्ष बहस पर मनन किया। प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण/खातेदारान ने जवाब में मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव को खारिज करने का निवेदन किया है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिभोगिक/ खातेदारान द्वारा रास्ते बाबत असहमति प्रकट करने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड पर मनन करने एवं प्राप्त प्रस्ताव व जवाब अधिभोगिक/खातेदारान के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम-साहूपाड़ा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै० मु० रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 14.8.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner